आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक : एफ 23(80)/लेखा/आकाशि/छा.ऑनलाईन/2017–18/506 दिनांक : 9-10-2017

विज्ञप्ति

राजस्थान स्थित महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं से छात्रवृति आवेदन पत्र उनके सम्मुख अंकित वर्षों के लिए विभागीय वेबसाईट http://hte.rajasthan.gov.in पर ऑनलाइन आंमत्रित किये जाते है। जिसका विवरण निम्नानुसार है–

क्र. सं.	छात्रवृति का नाम	वर्ष	पोर्टल प्रारम्भ तिथि	पोर्टल बन्द की अंतिम तिथि
1	मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना	2017–18	10.10.2017	09.11.2017
2	मेधावी छात्रा स्कूटी योजना	2017–18	10.10.2017	09.11.2017
3	देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि योजना	2017–18	10.10.2017	09.11.2017
4	विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड) संबंल योजना	2015–16 2016–17	10.10.2017	09.11.2017

आवेदन पत्र भरने से पूर्व संबंधित छात्र/छात्रा/अभिभावक योजनाओं से संबंधित दिशा–निर्देश, नियम एवं संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की भली भांति अध्ययन कर ही आवेदन करें। योजनाओं से संबंधित नियम, दिशा–निर्देश विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध हैं।

जिन विद्यार्थियों को उनके महाविद्यालय पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो रहें हैं। वे अपने महाविद्यालय के प्राचार्य से सम्पर्क कर रजिस्ट्रेशन एवं अपडेशन की कार्यवाही करावें।

जिन महाविद्यालयों द्वारा अभी तक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन एवं अपडेशन नहीं किया हैं। वे शीघ्र उक्त कार्यवाही करें। इसके अभाव में महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी ऑनलाईन आवेदन नहीं कर सकेगें। जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय की होगी।

(आशुतोष ए.टी. पेडणेकर)
आयुक्त
कॉलेज शिक्षा एवं विशिष्ट शासन सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर